भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

-1-

18

न्यायालय राजस्व न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)

25 .... 2013 निगरानी — R 1191-PBR/13

लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री बिहारीसिंह कुर्मी, निवासी—ग्राम पापड़ा, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन म.प्र.

................वादी

बनाम

1. गजेन्द्र सिंह
2. देवेन्द्र सिंह

दोनों पुत्रगण श्री दलीप सिंह, निवासीगण ग्राम—ढोलखेड़ी, तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

..............प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांकित 18.02.2013 जो प्रकरण कमांक 51ए—6ए/2011—12 में न्यायालय तहसीलदार, जिला—विदिशा म0प्र0 द्वारा पारित आदेश के विरूद्व प्रस्तुत है।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1. यहकि, इस निगरानी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 117 म.प्र. भूराजस्व संहिता का श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि प्रार्थी ग्राम ढोलखेड़ी पटवारी ह.नं. 39 तहसील व जिला विदिशा के आराजी नं. 71 रकवा 1.118 हे., आराजी नं. 75 रकवा 7.139 हे., आराजी नं. 125 रकवा 2.048 हे., आराजी नं. 168 रकवा 0.115 हे., आराजी नं. 180 रकवा 3.973 हे., आराजी नं. 237 रकवा 0.105 हे., आराजी नं. 408 रकवा 0.052 हे., आराजी नं. 418 रकवा 0.334 हे., आराजी नं. 416/1 रकवा 2.996 हे., आराजी नं. 416/3 रकवा 0. 836 हे., आराजी नं. 417 रकवा 0.178 हे., आराजी नं. 418 रकवा 0.094 हे., आराजी नं. 419/1 रकवा 0.168 हे. एवं आराजी नं. 420/1 रकवा 0.120 हे. कुल नम्बर 14 रकवा 19.280 हे. का एकमात्र मालिक होकर काबिज है, जबकि अनावेदकगण द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी पर खसरा के खाना नं. 12 में अपने नाम का नामांतरण बिना किसी आधार और आदेश के वर्ष 2011—12 में करा लिया है, जबकि भूमिस्वामी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा दर्ज किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस कारण उपरोक्त वर्णित आराजी पर खसरा कागजात में खसरा के कॉलम नं. 12 में अनावेदकगण का नाम हटाकर प्रार्थी/निगरानीकर्ता का नाम दर्ज किया जावे, जो तहसीलदार के समक्ष प्रकरण कमांक 51ए—6ए/2011—12 पर दर्ज हुआ, जिसमें तहसीलदार द्वारा बिना किसी

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण 1191/पीबीआर/2013 निगरानी जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषक आदि के हस्ता०
8-11-16	पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक श्री एल0एस0धाकड़ तथा अनावेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी के तर्क सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। 2/ यह निगरानी तहसीलदार विदिशा के प्रकरण नम्बर 51 ए-6-ए/ 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 18-2-2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत हुई है, जिसके व्दारा तहसीलदार विदिशा ने ग्राम ढोलखेड़ी के कुल सर्वे नंबर 14 के कुल रकबा 19.280 हैक्टर के खसरे के कालम नंबर 12 में अनावेदकगण के नाम की कब्जे की चली आ रही प्रविष्टि को विलोपित करने हेतु दिये गये आवेदन पर अंतिम आदेश दिनांक 18-2-13 से प्रकरण स्थल निरीक्षण एंव अनावेदकगण को सुनवाई हेतु सूचना दिये जाने के लिये नियत किया है। आवेदक के अभिभाषक का तर्क यह है कि कैफियत के खाना नंबर 12 में वगैर किसी आधार के अनावेदकगण के नाम की कर दी गई प्रविष्टि हटाने के लिये अनावेदकगण को सुने जाने की आवश्यकता नहीं है इसलिये उन्हें सूचना पत्र जारी करने वावत् लिया गया निर्णय गलत है। जब आवेदक स्वयं् स्वीकार कर रहा है कि ग्राम ढोलखेड़ी के कुल सर्वे नंबर 14 के कुल रकबा 19.280 हैक्टर के खसरों के कालम नंबर 12 में अनावेदकगण के नाम की कब्जे की प्रविष्टि है उनके नाम की प्रविष्टि विलोपित करने हेतु प्रस्तुत किये गये दावे के कम में रिकार्डेड हितबद्धों को सुना जाना आवश्यक है जिसके कारण तहसीलदार व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 18-2-2013 से लिया गया निर्णय उचित है । वैसे भी	

आवेदक के पास अपना दावा प्रमाणित करने का तहसीलदार के समक्ष अवसर प्राप्त है जिसके कारण तहसीलदार का आदेश दिनांक 18-2-13 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार विदिशा व्दारा प्रकरण नम्बर 51 ए-6-ए/ 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 18-2-2013 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य